कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 4001/XXV– /2008 देहरादून : दिनांक 08 नवम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,
मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाड़पुर रिंग रोड, देहरादून।

विषयः– **अपील संख्या– A(TI)-29716/2019 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नोटिस संख्या–9717/उ0सू0आ0/अपील/2019–20/(CIC) दिनांक 04–17–2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त नोटिस के क्रमांक–2 पर विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, स्थित सचिवालय उत्तराखण्ड प्रत्युत्तरदाता अंकित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि उक्त नोटिस के साथ संलग्न श्री मुनेन्द्र सिंह रावत, सेवा निवृत्त वन क्षेत्राधिकारी, 60 विद्या विहार–1 कारगी रोड़ देहरादून 248001 का प्रार्थना पत्र दिनांक 06 जून 2019 अपीलीय अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानी चुनावालय) टिहरी गढ़वाल से सम्बन्धित जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ कार्यालय है।

3– अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस कार्यालय में भी अपील हेतु उक्त दिनांकित पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण कार्यालय पत्र संख्या–2552 दिनांक 20 जून 2019 (प्रति संलग्न) के द्वारा अपीलीय अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानी चुनावालय) टिहरी गढ़वाल को हस्तान्तरित किया गया था।

अतः मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग से अनुरोध है कि उक्त नोटिस के क्रमांक 2 पर उल्लिखित प्रत्युत्तरदाता– विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के नाम निर्गत नोटिस निरस्त करते हुए विभागीय अपीलीय अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को नोटिस तामील करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक – उक्त

भवदीय,

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी/
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0संख्या 4001 /XXV–12(9)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास,रिंग रोड, देहरादून को उक्त अपील की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अपील आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। कृपया मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग में निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अपीलीय अधिकारी/
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पंजीकृत / दस्ती प्राप्त 6/11/19

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

अपील संख्या: A(TI)--29716/2019
अपील अन्तर्गत धारा 19 (3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005
अपीलकर्ता श्री मुनेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री पी. एस. रावत, 60, विद्या विहार फेस -1, कारगी रोड, देहरादून--248001।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता 1. लोक सूचना अधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, जिला टिहरी गढ़वाल

2. विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, स्थित सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादन

नोटिस

अपीलकर्ता श्री मुनेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री पी. एस. रावत, के द्वारा अपना अपीलीय पत्र दिनांक 05.08.2019, आयोग को राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) 2005 के निस्तारणार्थ दिनांक 05.08.2019 को प्रस्तुत किया गया है. आयोग द्वारा प्रार्थना पत्र को अपील के रूप में सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से **02.12.2019** को आयोग कार्यालय, **सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून** में वाद सूची के क्रम के अनुसार 11.15 **बजे** से दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है.

2. अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम--3 और नियम--4 के द्वारा प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को नियम छः के अनुसार **प्रत्युत्तरदाता** को पंजीकृत डॉक से/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है.

3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा प्रार्थना पत्र की प्रति तथा संलग्न अभिलेखों को प्रत्युत्तरदाताओं को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे **02.12.2019** को सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें. प्रत्युत्तरदाताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील--मेमोरेण्डम के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** उपस्थित हों.

लोक सूचना अधिकारी

अ. अपीलकर्ता/प्राथी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा
स. लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका
द. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां
ध. विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
न. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

विभागीय अपीलीय अधिकारी

अ. अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर.
ब. पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित विभागीय अपील व्यवहृत की गयी हो, तथा।
स. निर्धारित विभागीय अपील पंजिका
द. **नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के**

आयोग की ओर से
(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव

दिनांक 04.11., 2019

संख्या 9517/ उ.सू.आ./अपील/2019--20/(CIC)

प्रतिलिपि

1. श्री मुनेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री पी. एस. रावत, 60, विद्या विहार फेस -1, कारगी रोड, देहरादून--248001 को उनके मूल अनुरोध पत्र की प्रति सहित ।
2. लोक सूचना अधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, जिला टिहरी गढ़वाल को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
3. विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, स्थित सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून को अपीलार्थी से प्राप्त अपील की फोटोप्रति सहित।
4. **विभागीय पत्रावली।**

(बंशी लाल राणा)
प्रभारी सचिव

द्वितीय अपील की सुनवाई के समय विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक के द्वितीय अपीलीय पत्र में की गई आपत्तियों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मय साक्ष्य के अपना लिखित अभिकथन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।

(प्रारूप–"ख")

1.	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	
2.	प्रथम अपील / विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किये जाने का पत्रांक व दिनांक	
4.	सुनावाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	
5.	प्रथम अपील / विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलार्थी और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	
6	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तो संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं.	

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

पूर्ण पता ....

दूरभाष / फैक्स नं० / मो०न० ....

ई–मेल आई. डी. ....

Page No.
Date : / /201

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील

समक्ष:— उत्तराखण्ड सूचना आयोग।

1- **अपील संख्या**:- मुख्य सूचना आयुक्त, R.T.I भवन रिंग रोड लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड

2- **अपील अन्तर्गत धारा**:- 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

3- **अपीलकर्ता का नाम व पता**:- मुनेन्द्र सिंह रावत S/o पी०एस० रावत 60 विद्या विहार फेज-I कारगी रोड देहरादून 248001

4- **प्रतिवादी का नाम व पता**:- (1) लोक सूचना अधिकारी / जिला अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड

5- **अपीलीय अधिकारी**:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन दे.दू

1- **सूचना अधिकार का प्रयोग करने का कारण**:- त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव 2014-15 में जिला अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक 26/पं० 2014-15 दिनांक 10 जुलाई 2014 के अनुसार प्रार्थी के मुख्यालय सिया कैम्परी से 60 कि०मी० दूर जौनपुर ब्लॉक थत्यूड में असिस्टेंट रिटर्निंग आफीसर के पद पर दिनांक 14 जुलाई 2014 से 28 जुलाई 2014 तक 15 दिन की ड्यूटी लगाई गयी थी तथा प्रार्थी दिनांक 13 जुलाई 2014 को बाद दोपहर अपनी निर्वाचन ड्यूटी में उपस्थित हो गया था। प्रार्थी ने अपना T.A बिल भी समय से अपने विभाग के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया था। पांच वर्ष हो गये। प्रार्थी ने कई पत्र रजिस्टर्ड भेजे, किन्तु किसी पत्र का उत्तर नहीं मिला। इस लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लगाने की आवश्यकता पड़ी।

तथ्य:— प्रार्थी ने अपने रजिस्टर्ड आवेदन पत्र दिनांक 15/04/2019 में लोक सूचना अधिकारी / जिला अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। परन्तु उनके द्वारा कोई भी सूचना / जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।

बिन्दु न०(1) – प्रार्थी का निर्वाचन भत्ता बिल आने जाने सहित का बिल रुपये 5606/- के स्थान पर रु० 1858/- आपके द्वारा UDWDP-2 कैम्पटी यूनिट के नाम भेजा गया दि० 31 मार्च 2018 को, जबकि इनको ज्ञात था, कि कि मेरा रिटायर मैन्ट 2015 में हो चुका है। फिर आपके द्वारा ऐसा क्यों किया गया।

बिन्दु न०(2) - प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 10/02/2016 स्मृति पत्र 01/03/16 व दिनांक 22/05/2017 में अपना पता स्पष्ट रूप से सेवा निवृत रेंज अधिकारी

P.T.O

Page No.
Date : / /201

विद्या विहार – I कारगी रोड देहरादून का पता दिया था। फिर आपने रु० 1858 की धनराशी का चैक विभाग के नाम पर दि० 31/03/2018 को भेजकर एक वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक एवं मानसिक रूप से उत्पीडन करना कितना उचित है जवाब दें।

बिन्दु नं०(3):– आवेदनकर्ता फॉरेस्ट रेंजर को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफीसर के पद पर निर्वाचन ड्यूटी में कार्य करने एवं आने जाने सहित खर्च धनराशी रुपये 5606/– कब तक प्रार्थी को प्राप्त हो जायेगी।

2– अपीलिय अधिकारी को प्रेषित अपने रजिस्टर्ड आवेदन पत्र दिनांक 06 जून 2019 में इस प्रकरण को आवश्यककार्यवाही हेतु लिखा गया था। किन्तु दो माह होने को हैं। वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग से प्रार्थना :– (1) लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है। सभी सूचनायें बिन्दुवार उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(2) अपने मुख्यालय से लगभग 60 कि०मी० दूर आने, जाने व निर्वाचन ड्यूटी में योगदान पर खर्च हुई धनराशी 5606/-रुपये का भुगतान संबन्धित से करवाने की कृपा करें। (जिसका यात्रा बिल पूर्व ही प्रस्तुत किया जा चुका है)

(3) उक्त धनराशी 5606/- रुपये पर 5 वर्ष के ब्याज की आर्थिक हानि, उस समय के ब्याज 10% सहित दिलाने की कृपा करें।

(4) प्रार्थी का उत्पीडन करने एवं पत्र व्यवहार पर किये गये खर्चा भी दिलाने की कृपा करें।

अपीलार्थी द्वारा सत्यापन :– मैं मुनेन्द्र सिंह रावत S/o पी० एस० रावत सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथनों में दी गयी, जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है।

संलग्न :- सभी पत्र तीन प्रतियों में

(1) लोक सूचना अ० को प्रेषित पत्र -

(2) अपीलिय अधि० को प्रेषित पत्र -

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

[signature]

दिनांक :– 05/08/2019

(मुनेन्द्र सिंह रावत)

स्थान :– देहरादून

9897080103

EU633057548IN INR:6986633057548
SP PATEL NAGAR SO DEHRADUN <248001>
Counter No:1,06/06/2019,12:15
To:APILIYA ADHIKARI,CEO
PIN:248001, Patel Nagar SO Dehradun
From:MUNENDRA SINGH RAWAT,D.DUN
Wt:50gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>

स्पीड पोस्ट

सेवा में

अपीलिय अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन देहरादून

अपील का कारण :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी / जिला अधिकारी टिहरी द्वारा सूचना ना देने पर अपील करना।

महोदय

आपको अवगत कराना है कि कार्यालय जिला अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्रांक 26/पं०/2014-15 दि० 10 जुलाई 2014 के अनुसार प्रार्थी की ड्यूटी पंचायत उप-चुनाव कराने हेतु असिस्टेंट रिटर्निंग आफीसर के रूप में जौनपुर ब्लाक थत्यूड़ में दिनांक 14/7/2014 से 28/7/2014 तक लगाई गई। प्रार्थी अपने मुख्यालय कैम्पटी से लगभग 55 कि०मी० दूर थत्यूड़ में निर्वाचन अधिकारी महोदय के साथ पूर्ण सहयोग एवं योगदान दिया है जिसका प्रमाण पत्र भी श्रीमान निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन यात्रा भत्ता के साथ भेज दिया गया था।

प्रार्थी पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, टिहरी गढ़वाल थत्यूड़ में पहली पोस्टिंग हुई थी। नाही वहां पर मेरा कोई रिश्तेदार दूर-दूर तक नही था, जिसके यहां मैं रहता। प्रार्थी द्वारा वहां पर खाना, रहना, सोना का पूर्ण व्यय अपनी जेब से व्यय किया गया है। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी को दिनांक 10/2/2016 को स्मृति पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा, जवाब ना मिलने पर दिनांक 01/08/2016 को दूसरा स्मृति पत्र रजिस्टर डाक द्वारा भेजा गया। कोई जवाब नही मिला। फिर दिनांक 22/05/2017 को सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी किन्तु कोई जवाब नही मिला। फिर अचानक मुझे डाइबिटीज आदि होने से मैं अपील नही कर पाया।

प्रार्थी द्वारा दुबारा दिनांक 15/04/2019 को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत फिर सूचना मांगी गयी किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है। ये अधिकारी अपने पद के नशे में एक वरिष्ठ नागरिक के अधिकारों का हनन कर उसे आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से चोट पहुँचा रहे हैं।

अतः आप से करबद्ध अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी से मांगी गयी जानकारीयां उपलब्ध कराने की महान कृपा कीजिएगा।

आवेदनकर्ता हस्ताक्षर

संलग्न (1) – R.T.I आ०पत्र
(2) T.A. बिलकी छा०प्रति

[signature] 06/06/19

(मुनेन्द्रसिंह रावत)
सेवानि० वन क्षेत्राधिकारी
60 विद्या विहार–I कारगी रोड
देहरादून 248001
Ph No. 9997080102

दिनांक 06/06/2019

रजिस्टर्ड

दिनांक 15/04/2019

भारतीय डाक

India Post

RW727099121IN ...

RL DEHRADUN SPO (248001)

Counter No:2,15/04/2019,10:27

To:PIO,DM

PIN:249001, Tehri HO

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी/ जिला अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) टिहरी गढ़वाल

1-विषय का विवरण :- त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2014 में आपके पत्रांक 26/पं० 2014-15 दिनांक 10 जुलाई 2014 तथा उत्तराखण्ड शासन पंचायती राज अनुभाग-1 का पत्र संख्या 1508/XXX (1) 2014 - 86 (17) 2013 दिनांक 03 जुलाई 2014 द्वारा प्रार्थी का मुख्यालय सिंघा कैम्पटी से लगभग 60 कि.मी. दूर जौनपुर ब्लॉक थत्यूड़ में असिस्टेंट रिटर्निंग आफीसर के पद पर दिनांक 14/7/2014 से दिनांक 28/7/2014 तक 16 दिन की ड्यूटी लगाई गयी जिसका दायित्व प्रार्थी द्वारा अच्छी तरह से निभाया गया। जिसका टी०ए० बिल (रु. 5606/-) प्रार्थी द्वारा विभाग के माध्यम से समय से जमा कर दिया गया था।

दिनांक 31/10/2015 को आवेदनकर्ता वन क्षेत्राधिकारी (फोरेस्ट रेंजर) के पद से सेवा निवृत हो गया। आपके द्वारा मेरे चुनाव ड्यूटी आदेश में उप वन क्षेत्राधिकारी लिखा गया है। जो एक पद छोटा है। वन क्षेत्राधिकारी का ग्रेड वेतन 4800/- रु. है। किन्तु उक्त समय में मैं 5400 ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा था।

सेवा निवृति के पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 10/02/2016 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः अपना टी०ए० बिल आदि संलग्न कर आपको पारित करने हेतु भेजा गया उस का जवाब ना मिलने पर प्रार्थी द्वारा अपने टी०ए० बिल की धनराशी 5606-40 पारित कर भेजने हेतु रजिस्टर्ड डाक दिनांक 01/08/2016 को भी भेजी गयी किन्तु प्रार्थी को कोई जवाब प्राप्त नही हुआ।

मेरे संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा प्रार्थी के 16 दिन का टि.ए. बिल बीस धनराशी रु. 5606.40 के स्थान पर बैंकर्स चैक संख्या 209738 दिनांक 31/3/18 रु० 1858 रुपये पारित कर UDWDP कैम्पटी पुनिट को भेजा गया है। चैक किस को प्राप्त होगा। कुछ ज्ञात नही है। चैक हमेशा व्यक्तिगत नाम से आते है।

मांगी जाने वाली सूचना का बिन्दुवार विवरण उपलब्ध करायें।-

सू-न० (1)- आपके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रार्थी का T.A/DA आदि का रु० 5606=40 के टी.ए. बिल के स्थान पर रु. 1858/- भेजे गये जो (एक दिन) का रु. 116/- होता है, इसमें किसी भी कार्मिक का चाय नाश्ता, लंच, चाय, डिनर एवं रात्रि विश्राम थत्यूड़ जैसी जगह में 116 रु. प्रति दिन के हिसाब से 16 दिन तक कोई भी सकता है बतायें। वह सोयेगा कहाँ।

-॥- (2)- मेरे दोनो स्मृति पत्रों में अपना सेवा नि०/अपना पता दिया गया है फिर रेंज विभाग तथा युनिट के नाम पर इतनी कम धनराशी पारित कर, एक सेवा निवृत अधिकारी /वरिष्ठ नागरिक हेतु भेजना उसे आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना कितना उचित है। क्या आपसे अपना उचित देय मेहनताना मांगना गलत है।

-॥- (3)- आवेदनकर्ता वन क्षेत्राधिकारी के 16 दिन अ. रि. आफीसर के पद पर कार्य करने का टी. ए. बिल की धनराशी 5606/रुपये शीघ्र अतिशीघ्र कब तक प्राप्त हो जायेगी।

-॥- (4)- सूचना अधिकार हेतु 10/- रु. का पोस्टल ऑडर संख्या 43 F 744998 दिनांक 6/8/18 संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(कृपया पन्ना पलटें)

भवदीय

15/04/2019

(मुनेन्द्र सिंह रावत)
सेवा निवृत्त वन क्षेत्राधिकारी
60 विद्या विहार-I कारगी रोड
देहरादून 248001 (उ०ख)
Ph.N. 9897080103

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 2552 /XXV–(P-7)/2008 देहरादूनः दिनाक 20 जून, 2019.

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचास्थानी चुनावालय)
टिहरी गढ़वाल।

विषयः— **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अपील संबंधी पत्र का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मुनेन्द्र सिंह रावत, सेवा नि0 वन क्षेत्राधिकारी, 60 विद्या विहार–I कारगी रोड़ देहरादून 248001 प्रार्थना पत्र दिनांक 06 जून, 2019 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त न होने के कारण अपील की गयी है। जो आपके कार्यालय से संबंधित है।

अतः आवेदक के उक्त अपील पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी